न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
ओमप्रकाश रैगर (आरटीएस)
दिनांक 5.4..2021

मि.न. 24/2021

सरकार बना बिड़दी चन्द

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सांगटेड़ा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम सांगटेड़ा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1092/1.0है0 किस्म बंजड़ सिवायचक में से 0.10है भूमि पर बिड़दी चन्द पुत्र हरदेव जाति जाट निवासी सांगटेड़ा ने सरसों फसल कास्त की जाकर अतिक्रमण कर लिया हैं।

अतः रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये। सूचना के उपरान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आये तथा ना ही कोई जबाब पेश किया जिसके आधार पर गैर सायल को अनुतोष दिया जा सके। अतः गैर सायल के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। हमने पटवारी रिपोर्ट , पत्रावली में संलग्न दस्तवेजों पर गोर किया तो विवेचन में पाया कि गैर सायल का उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया जाना स्वतः ही सिद्व होता है अतः अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी ।

अतः गैर सायल बिड़दी चन्द पुत्र हरदेव जाति जाट निवासी सांगटेड़ा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम सांगटेड़ा के ख0 न0 1092/1.00है0 किस्म बंजड़ सिवायचक में से 0.10 है पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात बोई सरसों की फसल का निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 4रू. का पचास गुणा 200रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 5.4.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

सन 20..../..0........ पृष्ठ संख्या 77 पर ...2..... ..... किये गये।

.../07/21

कोटपूतली